राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि / नि.सं. / 319 दिनांक 19.1.2021

समस्त सचिव / प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– सत्र 2020–21 की **सांख्यिकी सूचना** प्रेषित करने की अन्तिम तिथि बढाकर 22.01.2021 कर अन्तिम अवसर दिये जाने बाबत।

संदर्भः–विभागीय आदेश 314 दिनांक 05.01.2021, 315 दिनांक 07.01.2021 एवं 318 दिनांक 13.01.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित सत्र 2020–21 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संबंध में **केवल सांख्यिकी** सूचना भरने के लिए ऑनलाईन NOC पोर्टल खोला गया है तथा जिन महाविद्यालयों के नाम पोर्टल पर नही है उन्हे यह सूचना एक्सल शीट में प्रेषित करनी है दोनो के लिए **अन्तिम तिथि बढाकर 22.01.2021** की जाती है।

ध्यान रहें उक्त सूचना राज्य के निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नांमाकन को एकजाई कर विभिन्न नीतिगत निर्णयों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि तक भरना सुनिश्चित करें।

उक्त सांख्यिकी सूचना नहीं भरने वाले महाविद्यालयों को राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा महाविद्यालय को असंचालित मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को अनुशंसित कर दिया जाएगा।

(बी.एल. गोयल, RAS)
अति.आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो को दूरभाष पर सूचित कर सांख्यिकी सूचना भरना सुनिश्चित करें।
2. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान